भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2078
उत्तर देने की तारीख 12 मार्च, 2021
शुक्रवार, 21 फाल्गुन, 1942 (शक)

शहरी और ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास

2078 श्री नीरज डांगी:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ''कौशल विकास योजना'' के अंतर्गत कितने-कितने शहरी और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) ''कौशल विकास योजना'' के माध्यम से कितने-कितने शहरी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) नियोजित किए गए इन लोगों में से कितने लोगों को स्थानीय स्तर पर नौकरियां प्रदान की गई हैं; और

(घ) कौशल विकास कार्यक्रम पूरा करने वाले कितने लोगों को ''प्रधानमंत्री मुद्रा योजना'' के माध्यम से स्व-रोजगार प्रदान किया गया है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री राज कुमार सिंह)

(क) से (ग) सरकार, शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में देश के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) अल्पावधि प्रशिक्षण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम और राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) तथा दीर्घावधि प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

(आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जबकि आवासन तथा शहरी मामलों का मंत्रालय दीनदयाल अन्तोदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2016-17 से उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या तथा नियोजन की सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	**स्कीम**	**प्रशिक्षित उम्मीदवार (लाख में)**	**नियोजित उम्मीदवार (लाख में)**
1	पीएमकेवीवाई	106.96	18.95
2	जेएसएस*	10.96	-
3	एनएपीएस*	9.90	-
4	सीटीएस*	52.98	-
5	डीडीयू-जीकेवाई	7.84	5.49
6	आरएसईटीआई	17.67	13.92
7	डीएवाई-एनयूएलएम**	4.72	2.74

*जेएसएस, एनएपीएस तथा सीटीएस स्कीम उम्मीदवारों के नियोजन की निगरानी नहीं करती

**आंकड़े वित्त-वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के हैं

(घ) प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) ''अनिधिक को निधियन'' की परिकल्पना करती है, जिसमें कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति शामिल हैं। यह सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के भीतर लाती है तथा बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं के माध्यम से 'शिशु' (50,000 रुपए तक), 'किशोर' (50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक) और 'तरुण' (5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक) नामक इंटरवेंशनों के साथ उन्हें किफायती ऋण प्रदान करती है। वित्त-वर्ष 2019-20 के दौरान, पीएमएमवाई के अंतर्गत कुल संस्वीकृत राशि 3.37 लाख करोड़ रुपए थी, जिससे 6.22 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हुए।

****